### Tuesday, September 2, 2025

## 📢 इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें!

प्रिय छात्रों,

हिंदी माध्यम के छात्रों को अपडेट रहने और अपनी अंग्रेजी सुधारने में मदद करने के लिए हम द हिंदू अखबार का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं।

🌐 कृपया इस वेबसाइट https://epapers.netlify.app/ को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा करें ताकि अधिक छात्र लाभ उठा सकें।

🎯 **लक्ष्य:** जैसे ही **1,000 छात्र जुड़ेंगे,** आपको **हर दिन सुबह 6** बजे से पहले अखबार मिलना शुरू हो जाएगा!

आपका सहयोग देश भर के हजारों हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए, मिलकर इस शिक्षण समुदाय को आगे बढ़ाएँ!

📚 धन्यवाद पढ़ते और सीखते रहिए!

## 'मिलेनियम सिटी' ने ढहते बुनियादी ढांचे पर विरोध के बाद प्रतिक्रिया तेज कर दी

पिछले कुछ वर्षों में हर बार तेज़ बारिश होने पर 'मिलेनियम सिटी' के जलमग्न हो जाने की विडंबना, जनता के आक्रोश और मीम्स के ज़रिए आक्रोश का विषय

अपनी ही तरह, इस साल भी कुछ अलग नहीं हुआ: 9 और 10 जुलाई को हुई बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। जलभराव वाली स्झकों में डूबे वाहनों और ट्रैफ़िक जाम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।

शहर में चरमराते बुनियादी ढाँचे और चरमराती नागरिक सेवाओं के पीछे व्यवस्थागत समस्याओं को देखते हुए, गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) ने 1 अगस्त को इन समस्याओं से निपटने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया।

नगर निगम ने लगभग 40 गंभीर जलभराव वालेक्षेत्रों की पहचान की है, शहर भर में आवारा मवेशियों और अनधिकृत होर्डिंग्स के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है, और निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) कचरे के संग्रहण और प्रसंस्करण को चौगुना कर दिया है।

जुलाई में दो दिनों में हुई बारिश से संबंधित घटनाओं में छह लोगों की मौत के बाद गुरुग्राम प्रशासन और हरियाणा सरकार सोशल मीडिया पर आलोचनाओं के घेरे में आ गए। इस आलोचना के बाद राज्य और स्थानीय अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी।

एक पखवाड़े बाद, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने गुरुग्राम में स्वच्छता उपायों पर चर्चा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की और 28 जुलाई से अभियान शुरू करने की घोषणा की।



नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया सोमवार को दक्षिणी परिधीय मार्ग पर स्वच्छता अभियान का जायजा लेते हुए। विशेष व्यवस्था

बाद में अगस्त के मध्य में, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने पाँच दिनों के लिए शहर का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय संगठनों के साथ बैठकें कीं, नागरिकों की चिंताओं को सुना और मिलेनियम सिटी में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने केलिए एक दीर्घकालिक रणनीति बनाने हेतु अधिकारियों के साथ काम किया।

क्षमता निर्माण सीएंडडी कचरे के खुले में डंपिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए, एमसीजी आयुक्त प्रदीप दहियाँ ने द हिंदू को बताया कि बसई स्थित शहर के एकमात्र संयंत्र द्वारा "लावारिस" मलबे के संग्रहण और प्रसंस्करण का कार्य एक वर्ष में 300 टन प्रतिदिन (टीपीडी) से बढ़ाकर 1,200 टीपीडी कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, "सेक्टर 29 से लगभग 22,000 टन अवैधरूप से ड्रंप किया गया मलबा पहले ही उठाकर बसईप्लांट तक पहुँचाया जा चुका है। इसी तरह, गुड़गांव-फरीदाबाद रोड से लगभग 5,000 टन मलबा उठाया जा चुका

घर-घर जाकर ठोस नगरपलिका अपशिष्ट (एसएमडब्ल्यू) एकत्र करने की निविदा प्रक्रिया चल रही है, वहीं एमसीजी ने अपनी अंतरिंम व्यवस्थाएँ बढ़ा दी हैं। शहर में कचरा संग्रहण के लिए वाहनों की संख्या एक अस्थायी उपाय के रूप में 200 से बढ़ाकर 311 कर दी गई है।

श्री दहिया ने कहा, "शहर की एसएमडब्ल्यू समस्या के दीर्घकालिक समाधान के रूप में, हम एक अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। यह एकमात्र व्यवहार्य समाधान है। इस परियोजना के लिए हमारे पास पर्यावरणीय म्ंज़ूरी है।"

आवारा पशुओं की समस्या के बारे में बात करते हुए, एमसीजी आयुक्त ने कहा कि महीने भर चले अभियान के दौरान 457 गोजातीय पशुओं को पकड़ा गया। उन्होंने कहा, "अभियान के दौरान पकड़े गए मवेशियों को गौशालाओं में भेज दिया गया। जो मालिक अपने मवेशियों को सड़कों पर घुमते छोड़ते हैं, उन पर पहली बार अपराध करने पर ₹25,000 और दोबारा अपराध करने पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया जाता है।"

नगर निगम ने भी भारी बारिश के बाद अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों में जलभराव को दूर करने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं। श्री दहिया ने कहा, "इस मौसममें बारिश के बाद हमने जल्द से जल्द जलभराव को दूर करने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं। हमने जलभराव की आशंका वाले 40 संवेदनशील स्थानों की भी पहचान की है और अगले साल अप्रैल तक उन्हें ठीक करने की उम्मीद है।"

# उत्तराखंड में अग्निवीरों के लिए 10% नौकरी कोटा नियम जारी

The Hindu Bureau NEW DELHI

उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को राज्य सेवाओं में सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण के नियम जारी किए।

कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जारी क्षैतिज आरक्षण नियम, 2025 के अनुसार, सेवानिवृत्त अग्निवीर अब समूह ग सेवाओं में नियोजित हो सकेंगे, जिनमें पुलिस कांस्टेबल, अग्निशमन अधिकारी, डिप्टी जेलर, वन रक्षक, वन निरीक्षक, आबकारी कांस्टेबल, प्रवर्तन कांस्टेबल और सचिवालय गार्ड जैसे विभिन्न वर्दीधारी पद शामिल हैं।

क्षैतिज आरक्षण सभी श्रेणियों में लागू होगा: सामान्य, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग

यह आरक्षण सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी श्रेणियों पर लागू है।

अधिसूचित नियमों के अनुसार, अग्निवीरों को सीधी भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी और अधिकतम आयुँ सीमा में छूट दी जाएगी।

राज्य सरकार की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए कोटा प्रदान करने के प्रस्ताव को पिछले महीने मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।

## बिना किसी अनुवाद गलती वाला संस्करण फ्री में पढ़ने के लिए अभी 8168305050 पर संपर्क करे।